न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 042/2024

जलोर सिंह उम्र 69 वर्ष पुत्र श्री विचित्र सिंह जाति जटसिख साकिन लोंगवाला तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– प्रार्थी

–:बनाम:–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

–– अप्रार्थी

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रेम आलड़िया अधिवक्ता –– प्रार्थी
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। –– अप्रार्थी

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 29/07/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थी की ओर से श्री प्रेम आलड़िया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का पता उपरोक्त शीर्षक में दिये गये अनुसार सही है।

प्रार्थी के नाम चक 12 एमओडी खाता संख्या 9/12 में मुस्तकरका खाता गुरचरण सिंह आदि में प. न. 44/271 (29) में 2.9740 हैक्ट. तथा चक 3 एलजीडब्ल्यु के खाता संख्या 60/54 में प.न. 51/284 (60) में 1.2650 हैक्ट. कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

प्रार्थी दिलावर सिंह व जलौर सिंह दोनो नामों से जाना जाता है तथा दोनों ही नाम प्रार्थी के है। चक 3 एलजीडब्ल्यु के खाता संख्या 60/54 में प.न. 51/284 (60) में 1.2650 हे. कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम दिलावर सिंह पुत्र विचित्र सिंह दर्ज है। प्रार्थी के तमाम पहचान व अन्य दस्तावेज में जलोर सिंह होने के कारण प्रार्थी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी चक 3 एलजीडब्ल्यु के खाता संख्या 60/54 में प.न. 51/284 (60) में 1. 2650 हे. कृषि भूमि में अपना दिलावर सिंह के स्थान पर जलोर सिंह करवाना चाहता है। प्रार्थी पूर्व में दिनांक 30.01.2023 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसमें पूर्व की तमाम रिपोर्ट संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का रिपोर्ट, तहसीलदार पीलीबंगा व दो राजकीय कर्मचारीयों की बतौर गवाही संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के द्वारा दोनो चको की चालू जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरपंच लोंगवाला की तस्दीक का प्रमाण पत्र, स्वयं प्रार्थी का शपथ पत्र व दिनांक 15.06.2023 की राजस्व पटवारी हल्का लोंगवाला की दैनिक [illegible] रिपोर्ट संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी दिलावर सिंह व जलोर सिंह एक ही व्यक्ति है अन्य कोई दिला[illegible] पुत्र विचित्र सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी नेक नियत है। प्रार्थी ने [illegible] प्रकार से गलत बयान नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 3 एलजीडब्ल्यु के खाता संख्या 60/54 में प.न. 51/284 (60) में 1.2650 हे. कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम दिलावर सिंह पुत्र विचित्र सिंह के स्थान पर जलोर सिंह पुत्र विचित्र सिंह दर्ज किया जावे व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमाया जावे। श्री मान जी की अतिः कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा को रिपोर्ट हेतु लिखे जाने पर पत्रांक भू.अ./2024/1554 दिनांक 20.06.24 से प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक 3 LGW में मुताबिक भूमि रिकॉर्ड में दिलावर सिंह के नाम दर्ज रकबा तबादला से प्राप्त है तथा तबादला आदेश अनुसार ना. क एंव जमाबंदी मे अंकन हुआ है। प०ह० द्वारा दैनिक डायरी 15/06/2023 की घटनाबही में दिलावर सिंह एंव जलौर सिंह एक व्यक्ति है तथा दिलावर सिंह के नाम का अन्य व्यक्ति नहीं होना बताया है। मुताबिक रिकॉर्ड किसी प्रकार का वाद व स्थगन नहीं है। प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेशः–

बहस अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली अवलोकन व संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन व तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडबल्यु के खाता संख्या 60/54 में प.न. 51/284 (60) में 1.2650 हैक्ट. कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम दिलावर सिंह पुत्र विचित्र सिंह के स्थान पर जलोर सिंह पुत्र विचित्र सिंह दर्ज दर्ज करने के आदेश फरमाये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested